# निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
## गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 33/2018 | 21.03.2018 | 18.2.2026 |

हजारी पुत्र भोरया, रैगर निवासी अहमदपुर, गंगापुर सिटी हॉल निवासी रेल्वे कॉलोनी, कुतलपुरा की ढाणी, सवाई माधोपुर ——वादी

बनाम

1. मूल्या पुत्र भोरया, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र भोरया, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. सत्तू पुत्र भोरया, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

3/1 धनबाई पत्नी सत्तू, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी

3/2 नेमी पुत्र सत्तू, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी

3/3 वेदू पुत्र सत्तू, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी

4. प्रभू पुत्र भोरया, रैगर निवासी अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. मैनेजर सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादी की ओर से

### निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 146 रकबा 0.46 है0 ख0न0 398 रकबा 0.76 है0 ग्राम अहमदपुर मे स्थित है। इस भूमि का राजस्व रिकार्ड मे वर्तमान इन्द्राज मूल्या, फूल्या, सत्तू, हजारी, प्रभू पुत्रान भौरया, मु0 पन्नी बेबा भोरया हि0 बराबर 5/6 बिला रहन सत्तू पुत्र भौरया, हिस्सा 1/6 राहिन सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा गंगापुर सिटी मुर्तहन कोम रैगर साकिन देह दर्ज हा रहा है परन्तुत मु0 पन्नी बेबा भोरया का देहावसान करीब 20 वर्ष पूर्व हो गया है। उसका नामान्तकरण अभी नही खुल पाया है। मु0 पन्नी की मृत्यु के बाद उसके हिस्सा 1/6 भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उसके उत्तराधिकारी होन के कारण उनके हिस्से मे आ गई। इस प्रकार वादी का हिस्सा उपरोक्त भूमि मे 1/5 तथा प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हिस्सा 1/5-1/5 हो गया है। जिसे वे मौके पर मौखिक तौर पर विभाजन कर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी को काश्त करने मे बाधा उत्पन्न करने लगे है। उन्होने दिनांक 5.10.17 को वादी द्वारा काश्त की गई बाजरे की फसल बनियत चोरी काट ली। इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

का विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 146 रकबा 0.46 है0 ख0न0 398 रकबा 0.76 है0 ग्राम अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से विभाजन कर वादी का 1/5 हिस्सा पृथक से खातेदारी मे दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 खाता संख्या 62 ग्राम अहमदपुर प्रस्तुत की है।

प्रकरण मे वकील वादी की बहस सुनी जाकर 19.8.2025 वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/5410 दिनांक 14.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. हजारी पुत्र भौरया, जाति रैगर सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 146/1 रकबा 0.10 है0, ख0न0 398/1 रकबा 0.13 है0 कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

2. प्रभू पुत्र भौरया, हि0 5/181, फूल्या पुत्र भौरया हि0 5/181, मूल्या पुत्र भौरया हि0 5/181, सत्तू पुत्र भौरया हि0 1/181, [illegible]या पुत्री भौरया हि0 5/181 जाति रैगर सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 146/2 रकबा 0.58 है0, ख0न0 398/2 रकबा 0.63 है0 ग्राम अहमदपुर तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बंधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.2.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:33:03 IST
Reason: SelfAttested